

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि०न० - 29/2018 (2018/00051)

अनवान : -



1. चांदरतन पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. धापा पत्नी शिशराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
2. प्रेमरतन पुत्र शिशराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
3. शिवरतन पुत्र शिशराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
4. जुझारदत पुत्र शिशराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
5. पुष्पा पत्नी सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
6. कमल पुत्र सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
7. तेजरूप पुत्र सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
8. चित्रसेन पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
9. यतिदत्त पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
10. विजयपाल पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
11. श्यामसुन्दर पुत्र रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
12. विनोद पुत्र रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
13. ललिता पुत्री रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
14. राजबाला रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
15. कलावती पत्नी मंगतुराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
16. मामचन्द पुत्र मंगतुराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
17. ओमप्रकाश पुत्र मंगतुराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
18. गुड्डी पुत्री मंगतुराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
19. चन्द्रकला पुत्री मंगतुराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
20. शारदा पुत्री मंगतुराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
21. कुलदीप पत्नी राजाराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
22. सुभाषचन्द्र पुत्र राजाराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
23. कृष्णकुमार पुत्र राजाराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
24. ममता पुत्री राजाराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
25. पिकी पुत्री राजाराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
26. लोकेश पुत्र सीतादेवी पुत्री मंगतुराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी त0 भादरा।
27. विकास पुत्र सीतादेवी पुत्री मंगतुराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी त0 भादरा।
28. नीलम पुत्र सीतादेवी पुत्री मंगतुराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी त0 भादरा।
29. बिन्दू पुत्र सीतादेवी पुत्री मंगतुराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी त0 भादरा।

Page 1 of 6

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

30. हीरादेवी पत्नी गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
31. प्रमोद पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
32. सुमन पुत्री गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
33. राधा पुत्री गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
34. राजबाला पुत्री गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
35. सावित्री पुत्री गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
36. सन्तोष पुत्री गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
37. जगदीश पुत्र सुनहरीदेवी जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
38. रामेश्वर पुत्र सुनहरीदेवी जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
39. ओमप्रकाश पुत्र सुनहरीदेवी जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
40. गीता पुत्री सुनहरीदेवी जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
41. सुशीला पुत्री सुनहरीदेवी जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
42. सुमन पुत्री पुत्र सुनहरीदेवी जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
43. सुर्यप्रकाश पुत्र आत्माराम जाति ब्राह्मण निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
44. रामकुमार पुत्र टीकुराम जाति कुम्हार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
45. रामप्रताप पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
46. निशान्त चौधरी पुत्र नरेन्द्रकुमार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
47. सन्दीप पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
48. एसबीआई छानीबडी जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
49. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादी

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्रीकृष्ण गर्ग वादी

श्री मुंशीराम गोस्वामी प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 08/04/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 5 सीएचएन के वर्तमान खाता संख्या 55/22 के मु० न० 5 के किला न० 14 ता 17, 24, 25/1, 25/2, मु० न० 6 के किला न० 11, 12, 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23 ता 25, मु० न० 7 के किला न० 19/2, 20/2, 21, 22, मु० न० 11 के किला न० 1, 2, मु० न० 12 के किला न० 1 ता 25, मु० न० 13 के किला न० 4 ता 6, 15, 16, 25 इस प्रकार कुल किता 55 की 12.055 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला खातेदारी कृषि भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है। जिसमें वादी चांदरतन के नाम से 78-1/10 हिस्सा, प्रतिवादी धापी के नाम 17-16/45 हिस्सा, प्रतिवादी प्रेमरतन, शिवरतन, झुझारदत के नाम से 45-201/360, प्रतिवादी पुष्पा, कमल, तेजरूप के नाम से 15-67/360 हिस्सा, प्रतिवादी चितरसैन के नाम

से 58-1/10 हिस्सा, प्रतिवादी यतिदत्त के नाम से 97-1/10 हिस्सा, प्रतिवादी विजयपाल के नाम से 18-1/10 हिस्सा, देवकी, श्यामसुन्दर, विनोद कुमार, ललिता, राजबाला के नाम से 119-1/8 हिस्सा, कलावती, मामचन्द्र, ओमप्रकाश, गुड्डी, चन्द्रकला, शारदा के नाम से 89-11/32 हिस्सा, कुलदीप, सुभाषचन्द्र, कृष्ण कुमार, ममता, पिकी के नाम से 14-57/64 हिस्सा, लोकेश, विकास, नीलम, बिन्दु के नाम से 14-57/64 हिस्सा, हीरादेवी, प्रमोद कुमार, सुमन, राधा, राजबाला, सावित्री, संतोष के नाम से 119-1/8 हिस्सा, जगदीश प्रसाद, रामेश्वर, ओमप्रकाश, गीता देवी, सुशीला देवी, सुमन के नाम से 119-1/8 हिस्सा, सूर्यप्रकाश के नाम से 6 हिस्सा, रामकुमार के नाम से 40 हिस्सा, रामकुमार के नाम से 86 हिस्सा, निशांत, संदीप के नाम से 20 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये है। वादी ने अपने हिस्सा में भूमि को समतल व उपजाऊ बनाया है तथा अपने हिस्सा में आई भूमि में ट्यूबवैल व रिहायशी ढाणी बना रखी है। रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का मुताबिक वाहमी बंटवारा व कब्जा काश्म के अनुसार खाता तकसीम किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी धापी, चित्रसैन, यतिदत्त, विजयपाल, रामकुमार, सूर्यप्रकाश ने अपना जवाब दावा पेश किया व विनोद कुमार ने अपना जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल के उपस्थित नही आये, इसलिए उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब पेश होने पर तनकी कायम की गई।

साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू-1 चांदरतन के बयान करवाये गये, जिसमें जमाबन्दी चक 5 सीएचएन सम्वत 2073-76 खाता संख्या 55/22 प्रदर्श 1, नक्शा जनरी चक 5 सीएचएन प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये गये। चूंकि प्रतिवादीगण ने भी वाद भूमि का वाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त के अनुसार ही विभाजन चाहा है। प्रतिवादी विनोद कुमार के द्वारा अपनी माता देवकी का देहान्त होने व उसकी भूमि प्रतिवादी विनोद कुमार, श्यामसुन्दर, ललिता, राजबाला को मिलने का कथन किया है जो कि सभी दावा में पक्षकारान है। साक्ष्यप्रतिवादी पेश नही की गई, जिस पर बहस वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की सुनी जाकर दिनांक 26.10.2017 को दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार भादरा को कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार भादरा ने दिनांक 17.09.2018 को विभाजन प्रस्ताव पेश किया जिसमें काश्तकारों का रकबा मिलान नही होने के कारण पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार भादरा द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.09.2019 को पेश किया व साथ में रंगदार नक्शा पेश किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

विभाजन प्रस्ताव पेश होने के उपरान्त वादी या प्रतिवादी पक्षकारान के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की सुनी गई। जिसमें उन्होंने मुताबिक विभाजन दिनांक 25.09.2019 के अनुसार वाद भूमि का खाता तक्सीम कर पक्षकारान के नाम अलग-अलग खाते कायम किये जाकर उनका माल व लगान अलग से कायम किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी जाने के उपरान्त दावा में प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.09.2019 के अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है।


चांदरतन पुत्र सत्यनारायण – चक 5 सीएचएन के मु० न० 6 के किला न० 22/4 की 0.013 है, 23 की 0.139 है, मु० न० 12 के किला न० 3 की 0.253 है० में से 0.228 है० नहरी व 0.025 है० खाला, किला न० 4/1 की 0.029 है० जिसमें 0.026 है० नहरी व 0.003 है० खाला, किला न० 16/2 की 0.038 है०, 17/2 की 0.038 है०, किला न० 18/2 की 0.038 है०, 23/2 की 0.146 है०, 24/2 की 0.146 है०, 25/2 की 0.146 है० कुल किता 10 की 0.986 है० नहरी 0.958 है० खाला 0.028 है०

चितरसैन पुत्र सत्यनारायण – चक 5 सीएचएन के मु० न० 6 के किला न० 21/3 की 0.013 है०, 25 की 0.240 है०, मु० न० 12 के किला न० 5/2 की 0.181 है० नहरी 0.163 है० खाला 0.018 है०, किला न० 6/1 की 0.184 है०, किला न० 7/1 की 0.184 है० किला न० 8/1 की 0.184 है० कुल किता 6 की कुल 0.986 है० नहरी 0.968 है० खाला 0.018 है०

यतिदत्त पुत्र सत्यनारायण – चक 5 सीएचएन के मु० न० 6 के किला न० 21/4 की 0.0065 है०, किला न० 22/5 की 0.0065 है०, किला न० 24/1 की 0.114 है०, मु० न० 7 के किला न० 21/1 की 0.065 है०, मु० न० 11 के किला न० 1/2 की 0.122 है० नहरी 0.097 है० खाला 0.025 है०, मु० न० 12 के किला न० 4/2 की 0.224 है० नहरी 0.202 है० खाला 0.022 है०, किला न० 5/1 की 0.072 है० नहरी 0.065 है० खाला 0.007 है०, किला न० 16/3 की 0.184 है०, किला न० 17/3 की 0.185 है०, किला न० 18/3 की 0.185 है० कुल किता 10 की कुल 1.164 है० नहरी 1.110 है० खाला 0.054 है०

विजयपाल पुत्र सत्यनारायण – चक 5 सीएचएन के मु० न० 6 के किला न० 21/5 की 0.013 है०, मु० न० 7 के किला न० 20/2 की 0.025 है०, किला न० 21/2 की 0.188 है० कुल किता 3 की कुल 0.226 है० नहरी

रामकुमार पुत्र टीकुराम – चक 5 सीएचएन के मु० न० 12 के किला न० 13/2 की 0.139 है०, किला न० 14/2 की 0.138 है०, किला न० 15/2 की 0.138 है०, किला न० 16/1


उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादग (जिला-हनुमानगढ़)

प्र० स० 29/18 अनुदान चांदरतन बनाम घापी आदि धारा 53 आरटीए

की 0.031 है०, किला न० 17/1 की 0.030 है०, किला न० 18/1 की 0.030 है० कुल कित्ता 6 की कुल 0.506 है० नहरी।

सूर्यप्रकाश पुत्र आत्माराम - चक 5 सीएचएन के मु० न० 6 के किला न० 24/2 की 0.076 हैक्टेयर नहरी

घापी पत्नी शिशराम 0.221 है०, प्रेमरतन, शिवरतन, झुंझारतन पि० शिशराम 0.582 है०, पुष्पा पत्नी सुन्दर, कमल, तेजरूप पि० सुन्दर 0.194 है० - चक 5 सीएचएन के मु० न० 6 के किला न० 22/3 की 0.013 है०, मु० न० 7 के किला न० 19/2 की 0.076 है०, किला न० 22 की 0.253 है० नहरी 0.240 है० रास्ता 0.013 है०, मु० न० 11 के किला न० 2/1 की 0.104 है० नहरी 0.074 है० रास्ता 0.005 है० खाला 0.025 है, मु० न० 12 के किला न० 6/2 की 0.069 है०, किला न० 7/2 की 0.069 है०, किला न० 8/2 की 0.069 है०, किला न० 13/1 की 0.114 है०, किला न० 14/1 की 0.115 है०, किला न० 15/1 की 0.115 है० कुल कित्ता 10 की कुल 0.997 है० नहरी 0.954 है० खाला 0.025 है० रास्ता 0.018 है०

देवकीदेवी पत्नी रामकुमार, श्यामसुन्दर, विनोद कुमार, ललिता, राजबाला पि० रामकुमार 1.507 है०, कलावती पत्नी मंगतुराम, मामचन्द, ओमप्रकाश, गुड्डी, चन्द्रकला, शारदा पि० मंगतुराम 1.130 है०, लोकेश, विकास, नीलम, बिन्दु पि. सीतादेवी पुत्री मंगतुराम 0.188 है०, कुलदीप पत्नी राजबाला, सुभाषचन्द्र, कृष्ण कुमार, ममता, पिंकी पि० राजाराम 0.188 है०, हीरादेवी पत्नी गोपीराम, प्रमोद कुमार, सुमन, रामा, राजबाला, सावित्री, संतोष पि० गोपीराम 1.507 है०, जगदीश, रामेश्वर, ओमप्रकाश, गीतादेवी, सुशीलादेवी, सुमन पि० सुनहरी देवी पुत्री छाजुराम 1.507 है०, रामप्रताप पुत्र श्रीचन्द 1.087 है० - चक 5 सीएचएन के मु० न० 5 के किला न० 14 ता 17 की 1.012 है०, किला न० 24 की 0.139 है०, 25/1 की 0.063 है०, 25/2 की 0.051 है०, मु० न० 6 के किला न० 11, 12, 19, 20 की 1.012 है०, किला न० 21/1 की 0.063 है०, किला न० 21/2 की 0.0305 है०, किला न० 22/2 की 0.0815 है०, मु० न० 11 के किला न० 1/1 की 0.131 है०, किला न० 2/2 की 0.149 है० नहरी 0.141 है० रास्ता 0.008 है०, मु० न० 12 के किला न० 1 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०, किला न० 2 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०, किला न० 9 ता 12 की 1.012 है०, किला न० 19 ता 22 की 1.012 है०, किला न० 23/1 की 0.107 है०, किला न० 24/1 की 0.107 है०, किला न० 25/1 की 0.107 है०, मु० न० 13 के किला न० 4 की 0.253 है० नहरी 0.215 है० खाला 0.025 है० रास्ता 0.013 है०, किला न० 5 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०, किला न० 6, 15, 16, 25 की 1.012 है० कुल कित्ता 36 की कुल 7.114 हैक्टेयर नहरी 6.993 है० खाला 0.100 है० रास्ता 0.021 हैक्टेयर


उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र० स० 29/18 अनुवान चांदरतन बनाम धापी आदि धारा 53 आरटीए

इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम खाता अलग अलग दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे व उनका इसी प्रकार माल व लगान अलग से कायम किया जावे। वादी भूमि जो बैंक के रहन है उनके हिस्सा पर रहन नामा यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे व प्रस्तावित रास्ता चक 5 सीएचएन के मु० न० 6 के किला न० 23 में 0.007 है०, मु० न० 12 के किला न० 3 में 0.013 है०, किला न० 8/1 में 0.009 है०, किला न० 8/2 में 0.004 है०, किला न० 13/1 में 0.006 है०, किला न० 13/2 में 0.007 है०, किला न० 18/2 में 0.002 है०, किला न० 18/3 में 0.009 है०, किला न० 18/1 में 0.002 है०, किला न० 23/2 में 0.008 है० हेक्टेयर रास्ता के रूप में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .08/04/20.. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भदरा (जिला-हनुमानगढ़) B.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भदरा जिला हनुमानगढ़